145
4:40pm

संख्या– /उन्तीस(2)/16–2(262पे.)/2015

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/
प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरखण्ड।

4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल,
पौड़ी/नैनीताल।

5. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

देहरादून : दिनांक :जून 14 2016

विषय :– राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चाल–खाल विकसित करने के लिये प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल के प्राकृतिक श्रोतों एवं भूजल के स्तर में निरन्तर गिरावट देखने को मिल रही है और इस कारण पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल की मांग के सापेक्ष उपलब्धता के सम्बन्ध में असामान्य संकट का सामना समय–समय पर करना पड़ रहा है। इस समस्या के निवारण हेतु सतही जल के संरक्षण के साथ–साथ वर्षा जल के संग्रहण के माध्यम से भूजल के संवर्धन हेतु चाल–खाल के निर्माण, विकास तथा रख–रखाव के परम्परागत उपायों को प्रभावी रूप में अपनाये जाने की महती आवश्यकता है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अन्तर्गत सतही/वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन हेतु चाल–खाल के निर्माण एवं विकास के कार्य को एक अभियान के रूप में चलाकर इस अभियान में व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों एवं वन पंचायतों को भी जोड़ा जाय तथा इस कार्य में सहभागिता के अन्तर्गत पूर्णतः स्वयं के व्यय पर अथवा शासकीय कार्यक्रमों के साथ युगपितीकरण (Dove-tailing) के माध्यम से चाल–खाल का निर्माण एवं विकास करने वाले व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों एवं वन पंचायतों को निर्माण लागत के सापेक्ष एक बार के लिए प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे निर्मित/विकसित चाल–खाल में प्रत्येक वर्ष जल संरक्षण करने पर प्रतिवर्ष वाटर–बोनस दिया जाय। इस दृष्टि से शासन द्वारा अगले प्रस्तर 3 में यथा उल्लिखित एक नीति तैयार की गई है।

3. **'उत्तराखण्ड चाल–खाल निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशि एवं जल संरक्षण पर वाटर बोनस प्रदान करने की नीति'**

(1) प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस की अनुमन्यता एवं पात्रता :

(i) प्रदेश के अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अथवा शासकीय कार्यक्रमों के साथ युगपितीकरण (Dove-tailing) के तहत चाल–खाल का निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण करने पर शासन द्वारा यथानिर्धारित मानकानुसार एक बार के लिए प्रोत्साहन राशि दी जायेगी और ऐसे निर्मित/विकसित/पुनर्जीवित चाल–खाल का उचित रखरखाव करते हुए जल संरक्षित करने पर संरक्षित जल के सापेक्ष यथानिर्धारित मानकानुसार प्रतिवर्ष वाटर बोनस दिया जायेगा।

(ii) चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण तथा रखरखाव के लिए प्रोत्साहन राशि एवं वाटर बोनस प्राप्त करने हेतु व्यक्ति, ग्राम पंचायत, वन पंचायत एवं स्वयंसेवी संस्था पात्र होंगे।

(iii) प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस की पात्रता हेतु व्यक्ति विशेष एवं स्वयं सेवी संस्था द्वारा निजी भूमि पर चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण तथा रखरखाव करना होगा जबकि ग्राम पंचायत/वन पंचायत द्वारा गैर वन भूमि/सिविल भूमि पर तथा वन पंचायत द्वारा वन पंचायत/वन भूमि में यह कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस की अनुमन्यता होगी।

(iv) चाल–खाल के निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण के लिए यदि पूर्ण धनराशि शासन (राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा वाह्य सहायतित परियोजनाएं) द्वारा दी जाती है तो ऐसे प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस देय नहीं होगा, किन्तु यदि व्यक्ति विशेष/वन पंचायत/ग्राम पंचायत/स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्वयं पूर्ण लागत वहन करते हुए अथवा किसी शासकीय कार्यक्रम के साथ योजना लागत के सापेक्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि अथवा संगत कार्यक्रम के अन्तर्गत नियत अंशदान की धनराशि, जो भी अधिक हो, के लिए श्रमांश अथवा अन्य स्वरूप में अंशदान के रूप में युगपितीकरण/सहभागिता करते हुए ऐसा कार्य किया गया हो तो वे प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(v) चाल–खाल ऐसे स्थानों/जलसमेट क्षेत्रों में बनाये जायेंगे जहाँ पर स्वाभाविक/ प्राकृतिक रूप से वर्षा जल उपलब्ध होता हो, किन्तु चाल–खाल की क्षमता से अधिक पानी आने पर उसकी उचित जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था भी सुलभ हो तथा ऐसे निर्माण से कोई आपदा, विस्थापन आदि की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vi) चाल–खाल के निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण के फलस्वरूप पेयजल, सिंचाई, भूजल रिचार्जिंग अथवा अन्य किसी प्रकार से जल संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से योजना का उपयोगी होना अनिवार्य होगा।

(vii) जल प्लावित (Water Logged) क्षेत्रों में चाल–खाल के निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस देय नहीं होगा।

(2) प्रोत्साहन राशि एवं वाटर बोनस की दर :

क. प्रोत्साहन राशि हेतु :

(i) चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण पूर्णतः स्वयं के व्यय पर किए जाने की दशा में अगले प्रस्तरों में मानकीकृत/अनुमन्य योजना लागत की 40 प्रतिशत धनराशि एक बार के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जायेगी, किन्तु यदि शासकीय कार्यक्रमों के साथ युगपितीकरण (Dove-tailing) किया गया है तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं द्वारा वहन किए गए अंश के एक तिहाई अंश की धनराशि एक बार के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।

(ii) चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण शासकीय कार्यक्रमों के साथ युगपितीकरण (Dove-tailing) के तहत किए जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत चाल–खाल के आकार एवं लागत के संदर्भ में सम्बन्धित विभाग द्वारा यथा अनुमोदित ड्राइंग एवं लागत विवरण का संज्ञान लिया जायेगा, किन्तु यदि पूर्णतः स्वयं के व्यय पर चाल–खाल का निर्माण करते हुए प्रोत्साहन राशि एवं वाटर बोनस का लाभ प्राप्त करना लक्ष्यित हो तो ऐसी दशा में संलग्नक–1 में दर्शित मॉडल डिजाइन एवं इंगित कार्य मदों को मानक ड्राइंग एवं अनुमन्य मानक कार्य मदें माना जायेगा तथा तदनुसार ही लागत की गणना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दर (SOR) के आधार पर की जायेगी। यदि प्रश्नगत निर्माण में बेहतर कार्य मदें ली गई हो और इस कारण लागत में वृद्धि हुई हो तो संलग्न निर्देशिका में इंगित कार्य मदों को ही सभी आकार के चाल–खाल की लागत आगणित करने हेतु मानक कार्य मदों के रूप में लिया जायेगा।

(iii) इस नीति का लाभ प्राप्त करने हेतु चाल का न्यूनतम आकार 1.0 metre x 1.0 metre x 1.0 metre तथा खाल का न्यूनतम आकार 5.0 metre x 3.0 metre x 2.0 metre होना अनिवार्य होगा जिससे कम आकार के चाल–खाल को इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु विचारित नहीं किया जायेगा। चाल निर्माण के अन्तर्गत मिट्टी खुदान, सीमेन्ट–पत्थर की दीवार, चाल को ढ़कने के लिए छत निर्माण सम्मिलित होगा जबकि खाल मिट्टी खुदान कर सूखी पत्थर की दीवार से निर्मित की जायेगी।

ख. वाटर बोनस हेतु :

निर्मित/विकसित/पुनर्जीवित चाल–खाल में संरक्षित जल की मात्रा पर अनुमन्य वाटर बोनस की दर जल संस्थान द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रान्तर्गत उपभोक्ता को उपलब्ध कराये जाने वाले जल पर लिए जाने वाले जल मूल्य की दर के समान होगी।

(3) बजट व्यवस्था :

क. प्रोत्साहन राशि हेतु :

(i) वन पंचायत द्वारा वन पंचायत/वन भूमि पर पूर्णतः स्वयं के व्यय पर अथवा वन विभाग की किसी योजना के साथ युगपितीकरण के तहत चाल–खाल के निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था वन विभाग की कैम्पा में की जायेगी। इस हेतु कैम्पा की गाईड लाईन्स में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसे कैम्पा के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संशोधित किया जायेगा।

(ii) गैर वन/सिविल भूमि पर ग्राम पंचायत अथवा वन पंचायत द्वारा तथा निजी भूमि पर भूस्वामी/स्वयंसेवी संस्था द्वारा युगपितीकरण के तहत चाल–खाल के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभागों (यथा मनरेगा, जलागम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ग्रामीण तालाब आदि) के द्वारा युगपितीकरण बजट के साथ–साथ प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था विभागीय बजट की जायेगी।

(iii) गैर वन/सिविल भूमि अथवा निजी भूमि पर पूर्ण लागत ग्राम पंचायत/वन पंचायत/व्यक्ति विशेष/स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्वयं वहन करते हुए चाल–खाल के निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था जिलों की जिला योजना के बजट में की जायेगी।

ख. वाटर बोनस हेतु :

निर्मित/विकसित/पुनर्जीवित चाल–खाल में संरक्षित जल की मात्रा पर वाटर बोनस दिए जाने हेतु बजट व्यवस्था पेयजल विभाग (जल संस्थान) के विभागीय बजट में की जायेगी।

(4) प्रस्तावों पर निर्णय की प्रक्रिया :

(i) जल संरक्षण एवं संवर्धन का कार्यक्रम संचालित करने वाले समस्त विभागों के द्वारा यथाशीघ्र अपनी योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन किया जायेगा तथा इसमें जन सहभागिता हेतु प्रचार–प्रसार एवं जनपदवार लक्ष्य निर्धारण कर ऐतदविषयक समस्त विवरण जिलाधिकारियों को भी उपलब्ध कराते हुए अपने जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

(ii) चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण करने वाले व्यक्ति/स्वयं सेवी संस्था/ ग्राम पंचायत/वन पंचायत द्वारा चाल–खाल का निर्माण/विकास/पुनर्जीवीकरण करने से सम्बन्धित प्रमाण सहित प्रोत्साहन धनराशि/वाटर बोनस, यथा लागू, दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपनी प्रारम्भिक संस्तुति के साथ मुख्य विकास अधिकारी को 15 अक्टूबर तक अग्रसारित किया जायेगा।

(iii) मुख्य विकास अधिकारी को प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरणों का परीक्षण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा :–

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
(3)	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
(4)	मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य
(5)	उप परियोजना निदेशक, जलागम	सदस्य
(6)	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई	सदस्य
(7)	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान	सदस्य
(8)	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम	सदस्य
(9)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	सदस्य
(10)	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
(11)	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य अधिकारी/ स्वयंसेवी संस्था	सदस्य

(iv) उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्रस्तावों के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के दल के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराकर चाल–खाल के आकार एवं योजना लागत का निर्धारित मानकों के आलोक में सत्यापन सहित संरक्षित जल की मात्रा का मापन 31 अक्टूबर तक कराया जायेगा। समिति द्वारा सत्यापन दल की संस्तुति पर विचार करते हुए विलम्बतम 30 नवम्बर तक प्रोत्साहन राशि एवं वाटर बोनस की अनुमन्यता एवं देय धनराशि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(v) समिति द्वारा उपरोक्तानुसार पात्रता एवं देय धनराशि के बिन्दु पर निर्णय लेने के उपरान्त पृथक–पृथक योजनाओं/विभागों से अपेक्षित धनराशि की गणना की जायेगी। यदि सम्बन्धित विभागों के जनपदीय कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों/कार्यालयों में प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस मद में धन उपलब्ध न हो अथवा धन की कमी हो तो जिलाधिकारी द्वारा तदानुसार आवश्यक धनराशि के आबंटन हेतु सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को मांग पत्र दिनांक 15 दिसम्बर तक प्रेषित किया जायेगा जिस पर सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा उपरोक्तानुसार जिलों से प्राप्त होने वाले मांग के सापेक्ष पर्याप्त धनराशि का आबंटन 31 दिसम्बर तक अपने जनपदीय कार्यालयों/ इकाईयों को किया जायेगा। तदोपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस 15 जनवरी तक लाभार्थी के बैंक खाते में आन लाईन ट्रांसफर (RTGS) के माध्यम से वितरित कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) जिलाधिकारी के स्तर पर जिले के अन्तर्गत निर्मित/विकसित/पुनर्जीवित चाल–खाल का सम्पूर्ण विवरण संकलित किया जायेगा तथा उनके सापेक्ष वितरित प्रोत्साहन राशि एवं वाटर बोनस की सूचना 31 जनवरी तक सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) जल संरक्षण एवं संवर्धन नीति का अभियान के रूप में क्रियान्वयन, प्रचार–प्रसार एवं अन्य आवश्यक उपाय :

प्रदेश के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उक्तानुसार प्रोत्साहन राशि/वाटर बोनस दिए जाने की नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ–साथ लक्ष्यित ध्येय की प्राप्ति हेतु निम्न प्रयास भी किए जायेंगे :–

(i) जिलाधिकारियों के द्वारा जनपद के अन्तर्गत उक्त नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु इसे एक अभियान/पर्व के रूप में संचालित करने की रूपरेखा बनाई जायेगी और इस अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों/स्वयं सेवी संस्थाओं को विभिन्न सार्वजनिक समारोहों में सम्मानित करने के साथ–साथ उन्हें अन्य विकास योजनाओं में वरीयता भी दी जायेगी।

(ii) सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा जिलाधिकारियों के समन्वय से उक्त अभियान के Print & Electronic Media में प्रचार–प्रसार, लघु प्रचार–सामग्रियों के वितरण तथा इस विषय पर लघु फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा अधिक से अधिक जनमानस को इस कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

(iii) वन विभाग, जलागम एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वन एवं गैर वन, दोनों क्षेत्रों में अधिक से अधिक Trench भी खुदवाये जायेंगे ताकि इनमें वर्षा का जल स्वाभाविक रूप से एकत्रित हो, भूजल Recharge हो, आस–पास के क्षेत्रों में नमी बने रहे तथा वनस्पतियों के उगने में सहायता मिले।

(iv) आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा व्यक्तिगत अथवा Group Housing के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत Rain Water Harvesting/Roof Top Water Harvesting के प्राविधान को अनिवार्य बनाया जायेगा तथा जिन स्वीकृतियों में यह शर्त निहित हो, उनकी मौके पर पुष्टि कराई जायेगी। Group Housing के मामलों में जिलाधिकारियों के द्वारा भी Random जांच कराई जायेगी और जहॉ उल्लंघन पाया जाय, वहॉ ऐसे विकासकर्ता के खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जायेगी।

(v) पेयजल विभाग द्वारा पेयजल के अपव्यय को रोकने तथा पेयजल के मितव्ययी प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एशियन विकास बैंक सहायतित परियोजना के अन्तर्गत कुछ प्रमुख शहरों में Water Meter लगाकर पेयजल के मितव्ययी प्रयोग के लिए जल मूल्य में छूट देने की नीति तैयार की जायेगी।

(vi) भूजल के अनुचित दोहन को रोकने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा ऐतद्विषयक प्रख्यापित अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा और बिना अनुमति अधिष्ठापित बोरिंग/नलकूप का संचालन बन्द कराने अथवा भूजल के अपव्यय कर रहे बोरिंग/नलकूप स्वामी के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जायेगी।

4. उक्त विषय पर शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए समस्त शासनादेश/दिशा–निर्देश इस नीति के प्राविधानों से उनके असंगत होने की सीमा तक अवक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

5. अतएव, सर्वसम्बन्धितों से अनुरोध है कि कृपया उक्त नीति के सफल कियान्वयन हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आगामी मानसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में चाल–खाल का निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण कराते हुए शासन द्वारा अनुमन्य की गयी प्रोत्साहन राशि एवं वाटर–बोनस का वितरण सम्बन्धित व्यक्तियों/स्वयं सेवी संस्थाओं/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों को समय से कराना सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त.

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1149(1)/उन्तीस(2)/16–2(262पे.)/2015/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल को मा. राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को उत्तराखण्ड के वेब–साइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
4. सूचना अधिकारी, सचिवालय सूचना प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
प्रभारी सचिव, पेयजल।

सलग्न–01

Model design & construction details of minimum size of Khal

Drawing not to Scale

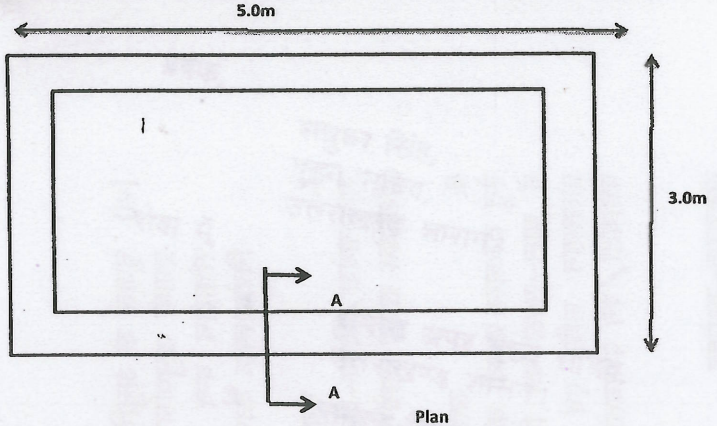

Plan

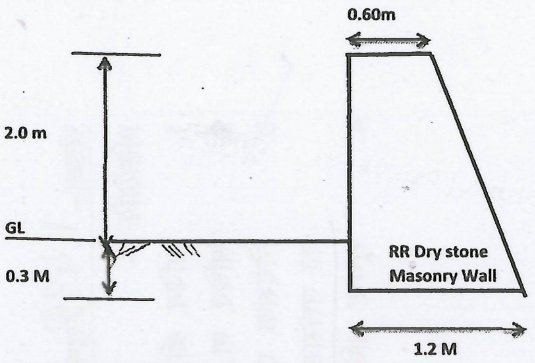

Section at AA

Only Fixed permissible items for construction of any Khal as per Drawing/UK PWD schedule

S. N.	DESCRIPTION	Unit
1	Earthwork in Excavation by Mechanical Means/Manual means over areas exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width and 10 sqm in plan including disposal of excavated earth lead 50m and lift 1.5m. Disposed earth to be neatly levelled and dressed.	Cum
2	Random rubble stone masonry laid dry	Cum

Model design & construction details of minimum size of Chal

Drawing Not to Scale

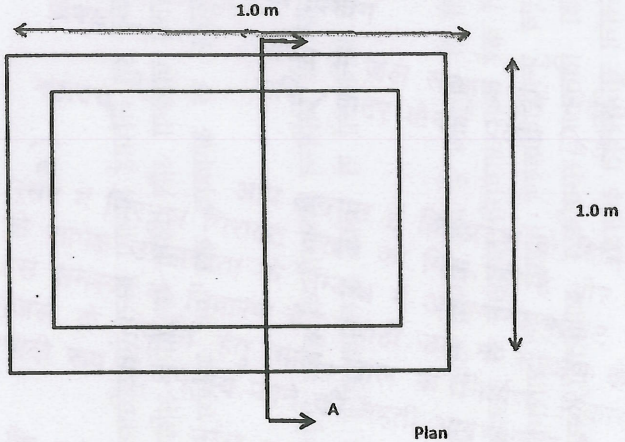

Plan

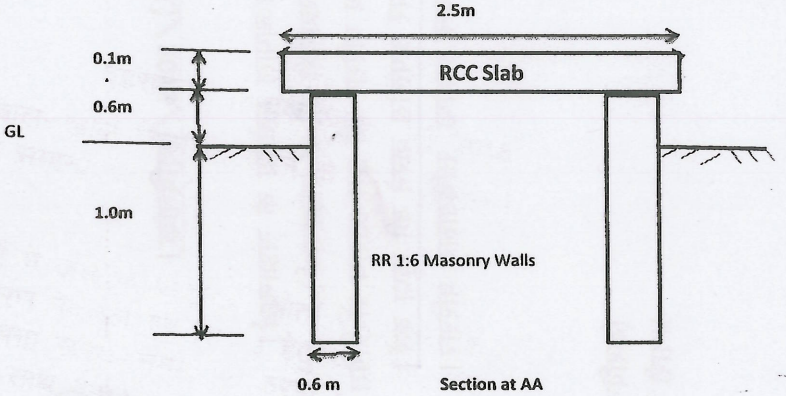

Section at AA

Only Fixed permissible items for construction of any chal as per Drawing/UK PWD schedule

S. N.	DESCRIPTION	Unit
1	Earthwork in Excavation by Manual means including disposal of excavated earth lead 50m and lift 1.5m. Disposed earth to be neatly levelled and dressed.	Cum
2	Random rubble stone masonry laid in 1:6 cement & Sand	Cum
3	RCC	Cum

Note : - Bottom will not be sealed by any foreign material.

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव,
पेयजल विभाग,
उत्तराखण्ड शासन